बिहार सरकार
पर्यटन विभाग
प्रथम तल, बी0 ब्लॉक, एक्सटेंशन भवन, मुख्य सचिवालय, पटना।
Email- js. bihartourism@gmail.com, website: www.bihartourism.gov.in

Blissful Bihar
BIHAR TOURISM

संचिका संख्या०— पर्य०वि०प०(ता०)— 32 / 2023 1626 दिनांक 10-7-2023

प्रेषक,

उप निदेशक,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

विषयः— डा० कुमुद वर्मा, माननीय स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 204वें सत्र में पूछे जाने वाले तारांकित ऑनलाईन प्रश्न संख्या— 1 / 204 / 295 को हस्तांतरित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि डा० कुमुद वर्मा, माननीय स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 204वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सड़क दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात आश्रित को मुआवजा देने से संबंधित है। इस विषय का संबंध भवदीय के विभाग से है।

अतः उक्त प्रश्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु हस्तांतरित किया जा रहा है। इस आशय की सूचना बिहार विधान परिषद् को भी दी जा रही है।

सादर।

अनु०— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

उप निदेशक,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

Bihar Vidhan Parishad Question

1/204/295

मुआवजा राशि का भुगतान

03/07/2023 03/07/2023

*1/204/295 डा. कुमुद वर्मा(विधान सभा)

पर्यटन

(क) क्या यह सही है कि रंजित कुमार, पिता- श्री शैलेन्द्र ठाकुर, ग्राम- सरथा, थाना- हरनौत, जिला- नालन्दा के रहने वाले दिनांकः- 21.04.2022 को बेली रोड स्थित नहर पर भयंकर दुर्घटना की चपेट में आ गये थे;

(ख) क्या यह सही है कि दिनांकः- 30.04.2022 को इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु पटना के अस्पताल में हो गयी थी;

(ग) क्या यह सही है कि स्व. रंजित कुमार के पिता द्वारा सारे कागजातों को संलग्न करते हुए मुआवजा हेतु आवेदन पूर्व में दिया गया है, श्री मिथिलेश कुमार सिंह, प्रभारी अवर निरीक्षक, यातायात थाना, सगुना मोड़ द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, बिस्कोमान भवन, पटना को मुआवजा देने हेतु अनुशंसा भी की गई है;

(घ) क्या यह सही है कि आश्रित के परिवार मुआवजा हेतु सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाते-लगाते थक चुके है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व. रंजित कुमार के आश्रित परिवार को चार लाख रुपये की मुआवजा राशि यथाशीघ्र भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?